न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 94/2013

1 मनोहरी पुत्री स्व. दीपाराम जाति जाट निवासी ग्राम बेरी तहसील व जिल सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 महेन्द्र पुत्र ईशराराम जाति जाट निवासी ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर।
2 ग्राम पंचायत बेरी, पंचायत समिति पीपराली जरिये सरपंच।
3 सुखा पुत्र भाना जाति जाट निवासी बेरी तहसील जिला सीकर। (नाम हजफ)
4 हीरा पुत्र भाना जाति जाट निवासी बेरी तहसील जिला सीकर।(नाम हजफ)
5 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा बेरी जरिये चेयरमेन शेखावाटी ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय भाटी मेंशन सीकर।
6 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर (भूमिधारक)
7 श्रीमती फूली देवी पत्नी ताराचंद जाति जाट निवासी ग्राम जेरठी तहसील व जिला सीकर।
8 श्रीमती भगवानी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी चिल्का की ढाणी तन खींवासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 श्रीमती नारायण मृत
9/1 विजयपाल सिंह पुत्र श्रीमती नारायणी पत्नी स्व. बीरबल।
9/2 सुनीता चौधरी पुत्री नारायणी पत्नी स्व. बीरबल
समस्त जाति जाट निवासीगण जेरठी तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधि.
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 न्यायालय
एसीएम सीकर द्वितीय दावा संख्या 321/2008 उनवानी
मनोहरी बनाम महेन्द्र आदि।

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 25/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 321/2008 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलान्ट ने एक वाद इश्तकरार हक, हुक्त इम्तनाई दवामी व दुरूस्ती इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 1040, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1050, 1055 व 1066 वाके ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर में कृषि भूमियां खसरा नम्बर 1040, रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 1042 रकबा 3.54 है., खसरा नम्बर 1043 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.47 है., खसरा नम्बर 1046 रकबा 0.03 है., खसरा न म्बर 1047

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रकबा 2.25 है., खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1055 रकबा 1.71 है., खसरा नम्बर 1066 रकबा 2.56 है. किता 10 कुल रकबा 12.15 है. अवस्थित है, जिसके रिकार्डेड खातेदार काश्तकार सुखा, ईशरा, हीरा पुत्रगण भाना जाट है, जिनमें ईशरा का स्वर्गवास हो चुका है। ईशरा पुत्र भाना जाट के एक पुत्र दीपाराम था जिसका स्वर्गवास हो चका है जिसकी पुत्री अपीलान्ट वादिया मनोहरी है। दीपाराम का स्वर्गवास होने पर ईशरराम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महेन्द्र को दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया था गोदनामा उप पंजीयक सीकर के यहां पंजीकृत है। वादास्पद कृषि भूमियों में ईशरराम के 1/3 हिस्से मे से 1/2 हिस्से पर वादिया व 1/2 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महेन्द्र काबिज काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 श्रीमती फूलीदेवी ने विचारण न्यायालय में अपीलान्ट का वाद स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 श्रीमती नारायणी देवी ने विचारण न्यायालय में दिनांक 09.07.91 को आवेदन प्रस्तुत कर अपीलानट का वाद स्वीकार कर उल्लेख किया है कि मेरा भूमियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है यदि न्यायालय मेरा कोई हिस्सा मानता है तो मैं मेरे भाई महेन्द्र (रेस्पोडेन्ट) के हक मे परित्याग करती हूं, किन्तु इन सभी तथ्यों के बावजूद विचारण न्यायालय ने मनमाने आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट पने अपने वाद के समर्थन में विचारण न्यायालय में सशपथ बयान अंकित करवाये है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने सशपथ बयान अंकित करवाये है, रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8, 9 ने कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं की है तथा अपीलान्ट के वाद को स्वीकार किया है तथा पीडब्ल्यू 1 मनोहरी व डीडब्ल्यू 1 महेन्द्र से कोई जिरह भी नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.08.91 को वादास्वद भूमियों की मौके की स्थिति को रिकार्ड पर लेने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 05.08.91 से भी कब्जा काश्त अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का बखूबी मौके पर साबित है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा भी राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सीकर के न्यायालय में अपील संख्या 78/91 उनवानी मनोहरी बनाम महेन्द्र में हुआ था जिसमें वादास्पद भूमियों पर कब्जा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महेन्द्र का ही पक्षकारान ने होना स्वीकार किया है तथा इन्हीं भूमियों की बाबत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा अपील संख्या 79/91 का दिनांक 04.01.2001 को निर्णय हुआ था जिसके विरूद्ध किसी भी पक्षकार ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। विवादित कृषि भूमियों पर ईशरा पुत्र भाना के 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट व 1/2 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट महेन्द्र काबिज है तथा कमिश्नर रिपोर्ट से भी यह पूर्णतया साबित है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर न कर खण्डनाधीन निर्णय पारित किया है जो कि निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलान्ट ने एक वाद इश्तकरार हक, हुक्त इम्तनाई दवामी व दुरूस्ती इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 1040, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1050, 1055 व 1066 वाके ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। नकल जमाबंदी ग्राम बेरी संवत 2045 से 2048 विवादित भूमि के खाता संख्या 761 प्रस्तुत की है जिसमें सुखा, ईशरा, हीरा पिता भानाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। जिसमें से ईशरा का 1/3 हिस्से का विवाद होने से वाद प्रस्तुत किया है। ईशरा की पुत्री फुली देवी ने शपथ पत्र स्टाम्प पर प्रस्तुत कर अपना हिस्सा महेन्द्र के पक्ष में हक त्याग का प्रस्तुत किया है तथा इकबाली जवाब दावा से भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। इसी प्रकार नारायणी जो कि ईशरा की पुत्री ने भी अपने हक व हिस्से को अपने भाई महेन्द्र के पक्ष में त्याग किया है। प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र ने जवाबदावा प्रस्तुत कर स्व. ईशरराम की आराजी 1/3 हिस्से पर वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 जवाबदाता का 1/2–1/2 हिस्से पर हक व हिस्सा होना स्वीकार कर इसी अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

03.11.1987 प्रस्तुत किया है। जिसमें स्व. ईशराराम ने गोद लेना एवं जाईन्दा पिता रामबक्साराम ने गोद देना स्वीकार किया है। उक्त दस्तावेजात के अलावा इस न्यायालय के द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 04.01.2001, 24.01.2001 मौका कमिश्नर रिपोर्ट, राजीनामा तथा मार्कशीट की फोटो प्रति, निर्वाचक नामावली 1988 ग्राम बेरी प्रस्तुत की है तथा स्वयं के शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से सव. ईशराराम की आराजी जो कि रिकार्ड में 1/3 दर्ज है उसको लेकर उसके वारिसान में विवाद है। प्रस्तुत साक्ष्यों से यह तथ्य स्पष्ट है कि ईशराराम ने प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र को अपने जीवनकाल में ही दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया था और उसके जीवनकाल में उसी के साथ रहा है। इसलिये विवादित आराजी में विरासत के रूप में विवादित आराजी में उसका हक व हिस्सा होने से उसे प्रापत करने का अधिकारी है। इस वाद में तथ्य भी स्पष्ट है कि ईशराराम के फुलीदेवी, नारायणी देवी व भगवानी देवी जायन्दा पुत्री है। ईशराराम के एक पुत्र दीपाराम भी पैदा हुआ जिसका देहान्त होने पर उसकी बेवा संतोष ने प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र से विवाह कर लिया जिसकी मनोहरी वादिया पुत्री है। इसी आधार पर यह वाद अदालत हाजा में अपने अधिकारों की उद्घोषणा करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। परन्तु इस वाद में मुख्य बिन्दु यह है कि विवादित आराजी स्व. ईशराराम की होने से विरासत में उनके सभी वैधानिक वारिसान का हक व हिस्सा है अर्थात स्व. ईशराराम की पुत्रियों फुलीदेवी, नारायण देवी, भगवानी देवी व दीपाराम (मृत) की पुत्री मनोहरी का समान रूप से हक व हिस्सा है। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी सम्पत्ति में उसकी जायन्दा सभी पुत्रियों एवं पुत्र चाहे दत्तक पुत्र के रूप में ही क्यो ना हो सभी का समान हक व हिस्सा है। इस वाद में यह तथ्य निर्विवाद है कि स्व. ईशराराम की सम्पत्ति का ही विवाद है। जिसमें वारिसान में ही बंटवारा किया जाना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलान्ट ने एक वाद इश्तकरार हक, हुक्त इम्तनाई दवामी व दुरूस्ती इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 1040, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1050, 1055 व 1066 वाके ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया।

पत्रावली में वादी द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम बेरी संवत 2045 से 2048 विवादित भूमि के खाता संख्या 761 प्रस्तुत की है जिसमें सुखा, ईशरा, हीरा पिता भानाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। जिसमें से ईशरा का 1/3 हिस्से का विवाद होने से वाद प्रस्तुत किया है। ईशरा की पुत्री फुली देवी ने शपथ पत्र स्टाम्प पर प्रस्तुत कर अपना हिस्सा महेन्द्र के पक्ष में हक त्याग का प्रस्तुत किया है तथा इकबाली जवाब दावा से भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। इसी प्रकार नारायणी जो कि ईशरा की पुत्री ने भी अपने हक व हिस्से को अपने भाई महेन्द्र के पक्ष में त्याग किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र ने जवाबदावा प्रस्तुत कर स्व. ईशरराम की आराजी 1/3 हिस्से पर वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 जवाबदाता का 1/2–1/2 हिस्से पर हक व हिस्सा होना स्वीकार कर इसी अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली में रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 03.11.1987 प्रस्तुत किया है। जिसमें स्व. ईशराराम ने गोद लेना एवं जाईन्दा पिता रामबक्साराम ने गोद देना स्वीकार किया है। उक्त दस्तावेजात के अलावा इस न्यायालय के द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 04.01.2001, 24.01.2001 मौका कमिश्नर रिपोर्ट, राजीनामा तथा मार्कशीट की फोटो प्रति, निर्वाचक नामावली 1988 ग्राम बेरी प्रस्तुत की है तथा स्वयं के शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से स्व. ईशराराम की आराजी जो कि रिकार्ड में 1/3 दर्ज है उसको लेकर उसके वारिसान में विवाद है। प्रस्तुत साक्ष्यों से यह तथ्य स्पष्ट है कि ईशराराम ने प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र को अपने जीवनकाल में ही दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया था और उसके जीवनकाल में उसी के साथ रहा है। इसलिये विवादित आराजी में विरासत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के रूप में विवादित आराजी में उसका हक व हिस्सा होने से उसे प्रापत करने का अधिकारी है।

इस वाद में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि ईशराराम के फुलीदेवी, नारायणी देवी व भगवानी देवी जायन्दा पुत्री है। ईशराराम के एक पुत्र दीपाराम भी पैदा हुआ जिसका देहान्त होने पर उसकी बेवा संतोष ने प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र से विवाह कर लिया जिसकी मनोहरी वादिया पुत्री है। इसी आधार पर यह वाद विचारण न्यायालय में अपने अधिकारों की उद्घोषणा करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। परन्तु इस वाद में मुख्य बिन्दु यह है कि विवादित आराजी स्व. ईशराराम की होने से विरासत में उनके सभी वैधानिक वारिसान का हक व हिस्सा है अर्थात स्व. ईशराराम की पुत्रियों फुलीदेवी, नारायण देवी, भगवानी देवी व दीपाराम (मृत) की पुत्री मनोहरी का समान रूप से हक व हिस्सा है। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी सम्पत्ति में उसकी जायन्दा सभी पुत्रियों एवं पुत्र चाहे दत्तक पुत्र के रूप में ही क्यो ना हो सभी का समान हक व हिस्सा है।

इस वाद में यह तथ्य निर्विवाद है कि स्व. ईशराराम की सम्पत्ति का ही विवाद है। जिसमें वारिसान में ही बंटवारा किया जाना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर